एक अपराध से पीड़ित होते हुए आपके अधिकार

न.स.व. के अर्टोनी जनरल का विभाग

एक अपराध से पीड़ित कौन है?

एक पीड़ित वो व्यक्ति है जो एक अन्य व्यक्ति द्वारा एक अपराधवादी आक्रमण करने के परिणाम में नुकसान सहन करता है।

इस नुकसान में शारीरिक, भावुक या मानसिक नुकसान, किसी निकटीय परिवारिक सम्बन्धी का खो जाना या सम्पत्ति का नुकसान करना शामिल हैं।

अपराध से पीड़ित के अधिकारों का एक अधिकार–पत्र (चार्टर) स्थापित क्यों है?

अपराध से पीड़ित के अधिकारों का एक अधिकार–पत्र (चार्टर) पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का एक्ट 1996 का एक भाग है। यह पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा यह निश्चित करता है कि उनकी देख–रेख उचित ढंग से की जाए।

अधिकार–पत्र (चार्टर) दिखाता है कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ पुलीस, न्यायालय, स्वास्थ्य सेवाऐं, तथा डी.पी.पी. जैसे सरकारी विभागों द्वारा कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

पीड़ित व्यक्तियों की ब्यूरो की भूमिका क्या है?

पीड़ित व्यक्तियों की ब्योरो न.स.व.में पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों प्रति अधिकार–पत्र (चार्टर) के लागू करने पर निगरानी रखतीहै। यदि आपको पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार–पत्र (चार्टर)की एक प्रतिलिपि की आवश्यकता है, कोई भी चिंताओं की बाबत विचार या स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता, या सरकारी विभाग के किसी एक शिकायत कक्ष के विषय में जानकारी कीआवश्यकता है तो पीड़ित व्यक्तियों की ब्यूरो के साथ संपर्क करें।

एक अपराध से पीड़ित होते हुए मेरे अधिकार क्या हैं?

एक अपराध से पीड़ित होते हुए यह आपका अधिकार है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा अपके साथ आदर, भद्रता तथा दयावान व्यवहार किया जाए।

यह भी आपके अधिकार हैं:

- जहां भी उपलब्ध हों, आपको अपनी परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न सरकारी विभागों से चिकित्सा-सम्बन्धी, परामर्श, कल्याण, स्वास्थ्य, तथा कानूनी सहायता तक पहुंच का अधिकार है।

- आपको अपने विरुद्ध किए गऐ अपराध के विषयमें पुलीस की जांच-पड़ताल, दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तथा मुक द्दमे के प्रक्रम के विषय में पुलीस से या डायरैक्टर ओफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन (डी.पी.पी.) के कार्यालय से मांग करने का अधिकार है। जब तक यह मामले की प्रगति को नुकसान न पहुंचाती हो, यह जानकारी आपको उपलब्ध की जा स कती है।अधिकतर परिस्थितियों में यह आपका अधिकार है कि ठहराए गए दोषी को आपके टेलिफोन नम्बर तथा निवासी पते से अनजान रखा जाए। यह आवश्यक है कि इसके विषय में आपके मामले में सम्मिलित प्रतिनिधि के साथ बात-चीत की जाए।

- अधिकतर परिस्थितियों में यह आपका अधिकार है कि एक अपराध के परिणाम में आपने जो कुछ झेला है, आप न्यायाल य को बताऐं। जहां पर पीड़ित पर प्रभाव के वर्णन-पत्र को अनुमति होगी, इसको प्रोसीक्युटर द्वारा जज या मैजिस्ट्रेट को दोषी ठहराए जाने के बाद परंतु दंड सुनाने से पहले दिया जाएगा। पीड़ित पर प्रभाव के वर्णन-पत्र को कैसे तैयार किया जाए, इसके विषय में डी.पी.पी. तथा पीड़ित व्यक्तियों की ब्यूरो जानकारी प्रदान कर सकती है।

- यह आपका अधिकाार है कि ठहराए गए दोषी व्यक्ति तथा प्रतिरक्षा कार्यवाहीयों के साथ ग़ैर-आवश्यक संपर्क से रक्षाद ीजाए। यदि आपको अपनी सुरक्षा के विषय में चिंता है तो आप पुलीस, प्रोसीक्युटर या न्यायाल्य अधिकारी के साथबात -चीत कर सकते हैं।

- अधिकतर परिस्थितियों में यह आपका अधिकार है कि एक अपराध के परिणाम में आपने जो कुछ झेला है, आप न्यायाल य को बताऐं। जहां पर पीड़ित पर प्रभाव के वर्णन-पत्र को अनुमति होगी, इसको प्रोसीक्युटर द्वारा जज या मैजिस्ट्रेट को दोषी ठहराए जाने के बाद परंतु दंड सुनाने से पहले दिया जाएगा। पीड़ित पर प्रभाव के वर्णन-पत्र को कैसे तैयार किया जाए, इसके विषय में डी.पी.पी. तथा पीड़ित व्यक्तियों की ब्यूरो जानकारी प्रदान कर सकती है।

- यह जानकारी पाने का आपको अधिकार है कि अपराधी हवालात से कब छोड़ दिया जाने वाला है या जब एक अपराधी हवालात से भाग निकलता है। आप उस विभाग के पीड़ित रजिस्टर में अपना नाम दरज कर सकते हैं जो उस अपराधी के हवालात का ज़िम्मेवार है, जिसने आपके या आपके परिवार के विरुद्ध एक अपराध किया है।

- यदि आप एक हिंसावादी अपराध से पीड़ित हैं तो यह आपका अधिकार है कि आप हरजाने तथा/या परामर्श के लिए वि क्टिम्स कम्पन्सेशन के आगे निवेदन-पत्र दें। निवेदन-पत्रों पर निर्धारण ट्राईब्युनल द्वारा किया जाता है। विक्टिम्स आफ क्र ाईम्स ब्यूरो आपको जानकारी, सहायता-बल तथा एक सेवा की और निर्देशन, इसके साथ ही चार्टर आफ विक्टिम्स राई टस के विषय में जानकारी बाबत सहायता देने के योग्य हो सकती है।

यदि मैं एक सरकारी विभाग द्वारा किए गए व्यवहार से अप्रसन्न हूं तो मुझे क्या करना चहिए?

आपका यह अधिकार है कि आप सम्बनधित विभाग के साथ इस विषय पर बात–चीत करें।

पहले आप अपनी चिंताओं के विषय में सरकारी विभाग में उस व्यक्ति को सूचित करें जिसके साथ आपका लेनदेन है। बहुत बार चिंताओं का समाधान इसी बिंदु पर किया जा सकता है। यदि आप फिर भी अप्रसन्न हैं तो उस विभाग में एक अधिक वरिष्ठ अधिकारी के साथ संपर्क करें।

यदि आप असंतुष्ट रहते हैं तो विभाग के शासकीय शिकायत यूनिट के साथ संपर्क करें।

सभी सरकारी विभागों के पास एक कार्यविधि है। जब आप शिकायत करना चाहते हों तो इसका पालन करना आवश्यक है तथा यह आवश्यक है कि वे आपको सूचित रखें।

यदि एक शिकायत करने के बाद भी आपको चिंताऐं हैं तो आप विक्टिम्स आफ क्राईम्स ब्यूरो के साथ संपर्क करके यह पता कर सकते हैं कि क्या, यदि कोई है तो, अन्य सहायता जो आपको चार्टर के अधीन दी जा सकती हो।

विक्टिम्स आफ क्राईम्स ब्यूरो के साथ संपर्क करना

टेलीफोनः
(02) 9374 3000 या 1800 633 063
(सिड्नी महानगर से बाहर टोल–फ्री)

बहरापन–दुर्बलता के लिए टी.टी.वाई. सेवाः (02) 9374 3175

टेलीफोन दुभाषिया सेवाः (02) 131 450

फैक्सः (02) 9374 3020

डाक पताः
Locked Bag A5010
Sydney South NSW 1235

वैब साईट पताः www.lawlink.nsw.gov.au/vcb

ISBN 07313 95182